न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–668/2025

परिवाद वाद संख्या–1314/2023 से उत्पन्न

आवेदिका का नाम :–रेणु अग्रवाल पत्नी शंकर अग्रवाल,
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा :–498(A) भा.दं.सं. एवं 3/4 Dowry Act.
आवेदकगण की ओर से :–श्री शाहजहां, विद्वान अधिवक्ता।
बिहार सरकार की ओर से :–श्री देव वंश गिरी।

06.05.2026	आदेश	मंतव्य

यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका/अभियुक्ता रेणु अग्रवाल की ओर से परिवाद वाद संख्या–1314/2023, अन्तर्गत धारा–498(A) भा.दं.सं. एवं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना गया। अभिलेख उपलब्ध है।

अभियोजन के मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि परिवादिनी गुंजन केडिया के परिवाद–पत्र के आधार पर आवेदक/अभियुक्ता एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध परिवाद वाद संख्या–1314/2023, अन्तर्गत धारा–498(A) भा.दं.सं. एवं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद–पत्र में कथन किया है कि परिवादिनी का विवाह दिनांक 15.02.2017 को अंकित अग्रवाल के साथ देवघर (झारखण्ड) में हुआ। विवाह में परिवादिनी के पिता द्वारा लगभग सात लाख नगर एवं सोना–चांदी के आभूषण उपहारस्वरूप दिए गए। विवाह उपरांत परिवादिनी अपने पति के साथ पुणे में रहने लगी। बाद में उसकी सास रेणु अग्रवाल भी साथ रहने लगी तथा परिवादिनी द्वारा दहेज में हॉडा सिटी कार की मांग की गई तथा मांग पूरी न होने पर परिवादिनी को घर से निकालने की धमकी देने लगे तथा परिवादिनी के साथ लगातार मारपीट, गाली–गलौज एवं मानसिक प्रताड़ना की जाती रही। आगे कथन किया गया कि एक बार उसकी सास द्वारा उसे सीढ़ी से धक्का देकर गिरा दिया गया, जिससे उसे चोटें आईं। दिनांक 11.11.2019 को परिवादिनी ने पुत्री को जन्म दिया, जिस कारण अभियुक्तगण नाराज हो गए तथा उसे और अधिक प्रताड़ित किया गया। जनवरी 2020 में अभियोगिनी को उसके मायके गोपालगंज भेज दिया गया तथा उसके बाद पति द्वारा संपर्क समाप्त कर दिया गया। अभियोगिनी का स्त्रीधन भी अभियुक्तगण द्वारा अपने पास रख लिया गया। आगे कथन किया गया कि परिवादिनी द्वारा अपने ससुर को घटना को जानकारी देने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, बल्कि पति द्वारा परिवादिनी के संबंध में गलत अफवाहें फैलाकर उसे बदनाम किया गया। अंततः परिवादिनी द्वारा महिला थाना एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद–पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से इस आशय का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है कि उसकी ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में, न माननीय न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही खारिज किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। परिवादिनी द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः गलत है तथा कथित घटना कभी घटित ही नहीं हुई। होंडा सिटी कार की मांग का आरोप झूठा, मनगढ़ंत एवं बनावटी है। आवेदिका का पुत्र अपनी पत्नी/परिवादिनी प्रेम एवं स्नेहपूर्वक साथ रखने के लिए तैयार है। आवेदिका के विरुद्ध लगाए गए आरोप

लगातार
06.05.2026

सामान्य एवं अस्पष्ट प्रकृति के हैं। आवेदिका 65 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह पति–पत्नी के मध्य का विवाद है तथा आवेदिका का उनके वैवाहिक विवाद से कोई संबंध नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायालय के सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है, ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

परिवाद–पत्र एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 498(A) भा.दं.सं. एवं एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। आवेदिका/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि विवाहोपरांत परिवादिनी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का तथा उसके साथ मारपीट एवं मानसिक उत्पीड़न करने का अभियोग है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता परिवादिनी की सास हैं। सुनवाई के क्रम में पक्षकारगण अपने–अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि वे आपसी सहमति से वैवाहिक विवाद का निराकरण करना चाहते हैं एवं विवाह–विच्छेद हेतु परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेंगे। परिवाद–पत्र एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवाद पति–पत्नी के मध्य उत्पन्न वैवाहिक विवाद है। आवेदिका के विरुद्ध किसी विशिष्ट कृत्य का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट आरोप परिलक्षित नहीं होता है। इस स्तर पर आवेदिका/अभियुक्ता की कथित अपराध में संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता रेणु अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा इन परिस्थितियों में धारा–482 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के शर्तों के अधीन रहते हुए आवेदिका/अभियुक्ता रेणु अग्रवाल को इस आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार किये जाने या आत्मसमर्पण करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 X 2 (दस हजार का दो) प्रतिभू तथा इतनी ही धनराशि का बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैः–

1. आवेदिका/अभियुक्ता अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगी।
2. आवेदिका/अभियुक्ता किसी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगी।

लेखापित एवं शुद्धित
ह0/–
(गीता गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गोपालगंज।
06.05.2026